

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग-2
संख्या 42/XIII-II/51(5)/2005
देहरादून: दिनांक: 25 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजना के सम्बन्ध में समान मार्ग निर्देशों के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजना में राज्य स्तरीय समन्वय हेतु समान मार्ग निर्देशों के अनुरूप (SLNA) को तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने हेतु निम्न विषय वस्तु विशेषज्ञों को अपने विभागीय कार्य के अतिरिक्त विभागवार नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त कार्य के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र०सं०	पद नाम	विभाग
1	श्रीमती नीना ग्रेवाल, प्रभारी वन संरक्षक	वन विभाग
2	श्री एस०एस० तोमर, संयुक्त निदेशक	ग्राम्य विकास विभाग
3	श्री एस०एम० जोशी, उप वन संरक्षक	वन विभाग
4	श्री के०सी० पाठक, उप निदेशक	कृषि विभाग
5	श्री अमर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी	वित्त विभाग
6	श्री आर०एन० नेगी, उप निदेशक	जलागम प्रबन्ध निदेशालय
7	श्री वी०सी० घिल्डियाल, सा०स०	जलागम प्रबन्ध निदेशालय

(नृप सिंह नपलखाल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 42(XIII-II)/51(5)/2005

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजना से सम्बन्धित विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मंडल नैनीताल।
5. मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, वन एवं जलागम को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. निजी सचिव, ग्राम विकास को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10. निजी सचिव, कृषि को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, लघु सिंचाई को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. विभागाध्यक्ष (वन, कृषि, ग्राम विकास, पंचायतीराज, लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एम०एच० खान)
सचिव